कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनूकूट वन प्रभाग,रेनूकूट

सोनभद्र– (उ0प्र0)

☎05446–252020 PIN Code: 231217 Email:dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 1539 /रेनुकूट/ 15– 38 दिनांक, रेनुकूट,अक्टूबर, 04 - 11 – , 2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत नार्दन कोल फिल्ड्स लिमिटेड की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 वन भूमि लीज के ऑन लाईन नवीनीकरण प्रस्ताव के संबंध में ।

(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/MIN/29061/2017)

संदर्भः– 1–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– 167/11–सी–**FP/UP/MIN/29061/2017** लखनऊ दिनांक– 22.07.2019

2–आपका पत्रांक– 409/मी0क्षे0/33 दिनांक– 23.07.2019

3–इस कार्यालय का पत्र संख्या– 321/रेनुकूट/15–38 दिनांक– 23.07.2019

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक– 22.07.2019 द्वारा 15 बिन्दुओं पर कमियॉ पायी गयी थी जिसके निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त के क्रम में आपने भी अपने कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक– 23.07.2019 द्वारा निर्देशित किया गया । उक्त आपत्तियों के निराकरण करने हेतु इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक– 23.07.2019 द्वारा महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0 ककरी परियोजना, ककरी–सोनभद्र से अनुरोध किया गया था । उक्त के क्रम में नार्दन कोल फील्डस लि0 ककरी परियोजना ने अपने पत्र संख्या–ककरी/महाप्रबन्धक/वन/2019/970 दिनांक–17.10.2019 द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए आख्या/अभिलेख उपलब्ध कराया गया है । एन0सी0एल0 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखो के आधार पर प्रभाग की अनुपालन आख्या निम्न विवरण के अनुसार संस्तुति सहित अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवही हेतु प्रेषित है :–

क्र0सं0	आपत्तियों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है किन्तु निरीक्षण रिपोर्ट में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उल्लंधन न किये जाने का उल्लेख है , जबगिक प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूर्व की लीज की शर्तो का पालन न करते हुये उल्लंधन किया गया है । अतः संशोधित निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में संशोधित निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति संलग्न करते हुए ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड करा दिया गया है ।
2	भूमि की भू–गर्भीय संरचना का भूगर्भ शास्त्री का प्रमाण–पत्र संलग्न नही किया गया है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में भू–गर्भीय संरचना का भूगर्भ शास्त्री का प्रमाण–पत्र नवीनीकरण प्रस्ताव के संलग्नक–31 (पृष्ठ संख्या–101) पर संलग्न करा दिया गया है ।
3	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण–पत्र में एन0पी0वी0 की दर त्रुटिपूर्ण है । अतः संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण–पत्र संलग्न कर ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण–पत्र नवीनीकरण प्रस्ताव के संलग्नक–18(पृष्ठ संख्या–58) पर संलग्न करा दिया गया है ।

4	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना से संबंधित अभिलेख संलग्न नही किया गया है , जबकि भारत सरकार की नवीनतम गाइडलाइन के चैप्टर–2 के पैरा–2.4(iv) में "Provisions of CA will be applicable for renewal of a mining lease, including the area broken up prior t0 25.10.1980, if the same was not applied earlier". का उल्लेख है । अतः प्रभावित आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष दुगूने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर ऑनलाईन भाग–2 में धनराशि सहित अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना के लिए 185.84 हे0 वन भूमि भारत सरकार के पत्र संख्या–8–350/87–एफ0सी0 दिनांक– 30.05.1989 एवं इसके क्रम में संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या– एल0 598/14–3–1989 दिनांक– 22.12.1989 द्वारा 30 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी । उक्त आदेशो के अनुपालन में प्रस्तावक कम्पनी नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना द्वारा प्रभावित वन भूमि 185.84 हे0 के सापेक्ष 189.836 हे0 गैर वन भूमि हरदोई वन प्रभाग में उपलब्ध कराते हुए उस पर वनीकरण हेतु वांछित धनराशि भी उपलब्ध करायी गयी है । यदि नवीनीकरण आदेश में भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु कोई अतिरिक्त शर्त लगायी जाती है तो इस हेतु प्रस्तावक कम्पनी नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना द्वारा नवीनीकरण प्रस्ताव में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है ।
5	उपरोक्त बिन्दु संख्या–4 के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलीग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में उपरोक्त बिन्दु संख्या–4 के अनुसार ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
6	उपरोक्त बिन्दु संख्या– 4 के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न कर ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में उपरोक्त बिन्दु संख्या–4 के अनुसार ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
7	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र संलग्न नही है । अतः संलग्न कर ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में उपरोक्त बिन्दु संख्या–4 के अनुसार ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
8	एन0पी0वी0 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि में बढोतरी के उपरान्त बढी धनराशि के जमा किये जाने की वचनबद्धता जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नही है । अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक कम्पनी नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्नक–6 के रूप में संलग्न कराते हुए ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड करा दिया गया है ।
9	वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण–पत्र मूल में संलग्न नही है तथा जिला स्तरीय समिति से पारित मूल प्रस्ताव भी संलग्न नही किया गया है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा जारी वन अधिकार प्रमाण–पत्र की मूल प्रति संलग्न करा दिया गया है । जिला स्तरीय समिति द्वारा पारित मूल प्रस्ताव रजिस्टर में अंकित रहता है जिसकी प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी के यहाँ संधारित किया गया है । रजिस्टर की मूल प्रति संलग्न किया जाना संभव नही है ।
10	मुख्य वन संरक्षक, की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नही है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में वांछित कार्यवाही प्रभाग स्तर से अपेक्षित नही है ।
11	हार्डकापी भाग–1 व ऑनलाइन भाग–1 में परियोजना की लागत भिन्न–भिन्न है । अतः एक समान लागत अंकित करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक कम्पनी नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना द्वारा ऑनलाईन भाग–1 एवं हार्डकापी भाग–1 में परियोजना की लागत एक समान अंकित कर दिया गया है ।
12	हार्डकापी भाग–2 व ऑनलाइन भाग–2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना से संबंधित विवरण अंकित नही किया गया है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि ककरी परियोजना द्वारा प्रभावित वन भूमि 185.84 हे0 के सापेक्ष 189.836 हे0 गैर वन भूमि हरदोई वन प्रभाग में उपलब्ध कराते हुए उस पर वनीकरण हेतु वांछित धनराशि भी उपलब्ध करायी गयी है । उक्त का विवरण हार्डकापी के संलग्नक–7 पर संलग्न है उसी के अनुसार ऑनलाईन भाग–2 में अंकित करा दिया गया है ।
13	मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर द्वारा भाग–3 में प्रस्ताव की संस्तुति नही की गयी है । अतः भाग–3 में प्रस्ताव की संस्तुति करते हुए ऑनलाईन अपलोड करें	इस बिन्दु के अनुपालन में वांछित कार्यवाही प्रभाग स्तर से अपेक्षित नही है ।
14	ऑनलाइन भाग–1 में रोजगार का विवरण एवं प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 57 पर संलग्न रोजगार विवरण में भिन्नता है । अतः एक समान रोजगार का विवरण फीड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावक कम्पनी नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना द्वारा नवीनीकरण प्रस्ताव के ऑनलाईन भाग–1 व प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 57 पर रोजगार विवरण एक समान अंकित कर दिया गया है ।

15	प्रकरण में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूर्व में लीज की शर्तो के अनुसार वर्ष 2012–13 से अब तक लीज रेंट की धनराशि जमा नही किया गया है , जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है । आपके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है । यदि प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है , तो उसका पालन सुनिश्चित करें अन्यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की दशा में दोषी अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक– 11–42 / 2017–एफ0सी0 दिनांक– 29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही करते हुए उससे संबंधित अभिलेख संलग्न करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि लीज रेंट की देयता के संबंध में वन विभाग की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष दाखिल विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या– सिविल(सी) 22793 / 2013 व परिवर्तित अपील सिविल नम्बर – 7614 / 2014 उ.प्र.राज्य व अन्य बनाम नार्दन कोल फील्ड्स लि. माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है । माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कराते हुए नवीनीकरण प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुति सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ ।

भवदीय,

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट–सोनभद्र

संख्या– अ / सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि : महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0, ककरी परियोजना, ककरी–सोनभद्र को उनके पत्र संख्या–970 दिनांक–17.10.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट–सोनभद्र